न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

धन वाद सं0–3/2025

अफाक अली...वादी

बनाम

रूनझून उपाध्याय उर्फ अभय कुमार उपाध्याय एवं अन्य..............................प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
20-09-2025	वादी की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 16.09.2025 को दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 20.09.2025 को आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रतिवादी मंडल कारागार बेतिया में शिकारपुर थाना काण्ड सं0–216/2025 में बंद है, जिनकी जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय पटना में लम्बित है। वादी ने ही प्रतिवादी के विरूद्ध उक्त काण्ड अंकित कराया हैं वादी की जानकारी और उपस्थिति के लिए प्रतिवादी के विरूद्ध मंडल कारा बेतिया में नोटिश भेजने का आदेश देना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए मंडल कारा, बेतिया में नोटिश भेजने का आदेश दिया जाए। प्रतिवादी की उपस्थिति प्रस्तुत वाद में नहीं हुई है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 16.09.2025 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए मंडल कारा, बेतिया में नोटिश भेजने का आदेश पारित किया जाए। वादी का आवेदन न्यायसंगत प्रतीत होता है और इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

धन वाद सं0–3/2025

अफाक अली...वादी

बनाम

रूनझून उपाध्याय उर्फ अभय कुमार उपाध्याय एवं अन्य...............................प्रतिवादीगण

लगातार **20.09.2025**	पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 16.09.2025 को स्वीकृत किया जाता है और कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए मंडल कारा, बेतिया को नोटिश भेजें। वाद दिनांक 14.10.2025 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	